प्रेस नोट
दिनांक 14.11.2024, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-862/24, धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- 01. सुवेश तिवारी पुत्र स्व0 शिवराम तिवारी निवासी नोनापार थाना भटनी, जनपद देवरिया को शेख किला कब्रिस्तान गिर्द गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.11.2024 को थाना कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई की यशमय वर्ड स्कूल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ी है उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँच कर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट/डाग स्क्वायड को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी थी। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था। आज दिनांक 14.11.2024 को वादी श्री असगर अली उर्फ शेरू पुत्र अकबर अली निवासी इमामबाड़ा थाना कोतवाली नगर, गोण्डा के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-862/24, धारा 105 बीएनएस बनाम सुवेश तिवारी पुत्र स्व0 शिवराम तिवारी निवासी नोनापार थाना भटनी, जनपद देवरिया के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 14.11.2024 को थाना को0नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त -01. सुवेश तिवारी पुत्र स्व0 शिवराम तिवारी निवासी नोनापार थाना भटनी, जनपद देवरिया को शेख किला कब्रिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के निशादेही पर मृतक बब्लू के कपड़े एवं झोला बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त और मृतक बब्लू निवासी राम की पैडी सरयू घाट अयोध्या से साथ काम करने गोण्डा साथ आये थे तथा दोनो यशमय वर्ड स्कूल के पास साथ में शराब पी रहे थे उसी दौरान अभियुक्त व मृतक बब्लू के मध्य कहा सुनी मार पीट होने लगी उसी दौरान अभियुक्त नशे की हालत में बब्लू के सिर पर ईट से प्रहार कर घायल कर दिया, जिससे गम्भीर चोट लगने से मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुवेश तिवारी पुत्र स्व0 शिवराम तिवारी निवासी नोनापार थाना भटनी, जनपद देवरिया।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-862/24, धारा 105 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 दिनेश राय
02. हे0का0 राजकरन यादव
03. का0 पीयूष गोस्वामी
04. का0 दीपक कुमार सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.11.2024, थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 04 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद-

कार्यवाहीः-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (04 किलो ग्राम अवैध गांजा) के साथ अभियुक्त जोगिन्दर यादव पुत्र रामशंकर यादव निवासी ग्राम महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा नया सरयू पुल बहदग्राम महेशपुर से गिरफ्तार कर कब्जे से 04 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0- 386/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13.11.2024 को थाना नवाबगंज के उ0नि0 संजीव सिंह मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सरयू पुल बहदग्राम महेशपुर के पास अवैध गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (04 किलो ग्राम अवैध गाँजा) बरामद कर अभियुक्त जोगिन्दर यादव पुत्र रामशंकर यादव निवासी ग्राम महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0- 386/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. जोगिन्दर यादव पुत्र रामशंकर यादव निवासी ग्राम महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0स0- 386/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 04 किलोग्राम गाँजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव सिंह
02. उ0नि0 विभव सिंह
03. हे0का0 विपिन सिंह
04. हे0क0 देशदीप गिरि
05. हे0का0 राजकिशोर

मीडिया सेल, गोण्डा।